कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / परिपत्र / स्था0 / 24–25 / 2083 / 2024,लखनऊ::दि0::जून, 21, 2024

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–4 / 2024 / 144–सामान्य / सैंतालीस–का–4–2024–1 / 3 / 96 दिनांक 11.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष–2024–25 की सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत की गई है, जिसमें विभागाध्यक्षों को 30 जून, 2024 तक स्थानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में निर्देशानुसार अवगत कराना है कि मुख्यालय के आदेशांक–2037 / 2024 दिनांक 19.06.2024 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान में कार्यरत तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों पर विचार किये जाने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

अतः समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण अन्तर्गत उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जो स्वेच्छा से अपना स्थानान्तरण चाहते हैं, वह अपना प्रार्थना पत्र विलम्बतम दिनांक 25.06.2024 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय प्रेषित करें, जिससे उनके प्रार्थना पत्रों पर समिति द्वारा विचार किया जा सके। यदि इसके पश्चात् जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, उन पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(तरुण कुमार)
निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
2. वरिष्ठ सहायक, विवरण मुख्यालय।
3. वेव अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ सहायक–स्थापना–1, मुख्यालय।

निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।